न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना,राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
13 / 2016	2016 / 00239	20.01.2016	29.09.2023

एवं

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12 / 2016	2016 / 00240	20.01.2016	29.09.2023

उनवान प्रकरण

1. शार्दुलसिंह पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. शिवशंकर पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 5, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

– प्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या 2 ता 3

बनाम

...म पुत्र श्री सेडूदास

...रीलाल पुत्र श्री सेडूदास

सीताराम पुत्र श्री सेडूदास

समस्त जाति स्वामी निवासी वार्ड नम्बर 3, श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

– अप्रार्थीगण / वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 प्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 अभिभाषक।
श्री सरदार सिंह प्रथम एड0 अप्रार्थीगण /वादीगण की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

29/09/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

–:: निर्णय ::–

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार के नितांत विधि विरूद्ध वाद पत्र पेश किया है, जो किसी भी सूरत मे चलने योग्य नहीं है, जो प्रथमदृष्टवा ही खारिज किये जाने योग्य है। किसी भी लिखित को निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, न कि रेवन्यू न्यायालय को। उक्त वाद पत्र में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 23.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में विवादित आराजियान के संबंध में निष्पादित विक्रय लेख को शून्य घोषित करवाकर खातेदारी अपने नाम करवाने का अनुतोष चाहा है। विधि का स्पष्ट मत है कि किसी भी लिखतम को निरस्त एवं शून्य घोषित करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को ही है। वादीगण ने न्यायशुल्क बचाने की नियत से बिना अधिकारिता के उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मीनिंग एण्ड सबस्टेन्स को देखने से पूर्णतया स्पष्ट है कि वादीगण के उक्त वाद पत्र का मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 23.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में विवादित आराजियान के संबंध में निष्पादित विक्रय लेख को शून्य घोषित करवाना है। उक्त विक्रय लेख को शून्य घोषित करवाना ही वादीगण का मुख्य दादरसी व उद्देश्य है, खातेदारी नाम करवाना इन्सिडेंटल रिलीफ.है, जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को ही है। वादीगण द्वारा खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के लिये मूल खातेदारान के सभी वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया है। इस बात से भी साबित है कि वादीगण का वाद पत्र का मुख्य उद्देश्य विक्रय लेख शून्य घोषित करवाना है। वाद पत्र के अभिकथनों से पूर्णतया स्पष्ट है कि वादीगण के उक्त वाद पत्र का मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 23.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में विवादित आराजियान के संबंध में निष्पादित विक्रय लेख को शून्य घोषित करवाना है। उक्त तथाकथित विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 शून्य घोषित होने के बाद ही वादीगण उक्त भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

29/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी हो सकते है। विक्रय लेख को शून्य घोषित करने की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है, न की राजस्व न्यायालय को। उक्त वाद पत्र पूर्णतया विधि वर्जित होने के कारण कतई चलने योग्य नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है, इसलिये उक्त वाद पत्र को खारिज किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण / वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र के तथ्य असत्य व मिथ्या है। वादीगण ने वाद पत्र अपनी खातेदारी की पुरानी कृषि भूमि खसरा नम्बर 438 / 1 जिसके नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 882 / 1264 तन ग्राम श्रीमाधोपुर के बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जिसकी खातेदारी संवत् 2027 तक वादीगण के पिता / दादा सेडूदास पुत्र छोटूदास के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है, जिसकी गलत, अवैध रूप से खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुयी है, तत्पश्चात गलत व अवैध खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुयी है, जिसकी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र वादीगण की ओर से पेश किया गया है, जो आर0टी0 एक्ट की धारा 207 के अनुसार वर्णित तृतीय अनुसूची में वर्णित धाराओं 88 व 108 के तहत वाद पत्र पेश किया गया है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय हाजा को है। वास्तविक तथ्य यह है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में मूलतः पिथ एण्ड सबस्टान्स वादीगण अपने वादग्रस्त पुराने भूमि खसरा नम्बर 438 / 1 जिसकी नवीन खसरा नम्बर 832 / 2664 रकबा 0.12 हैक्टेयर तन ग्राम श्रीमाधोपुर में अपनी खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, जो वाद पत्र की इस्तदुआ की मद नम्बर अ में स्पष्ट चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 882 / 2664 रकबा 0.12 हैक्टेयर तन ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को काबिज काश्तकार घोषित कर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे। इस आशय का मुख्य अनुतोष वादीगण की ओर से चाहा गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में किया गया विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 बमुकाबले वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार बेअसर, शून्य व प्रभावहीन [illegible] जाने की इस्तदुआ का आनुसंगिक अनुतोष चाहा गया है। वादीगण का मुख्य अनुतोष वादग्रस्त भूमियों में अपने नाम खातेदारी अधिकारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

Rathoe
29/09/23

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

की उदघोषणा कराने का है, जो आर०टी० एक्ट की धारा 207 केवल राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञेय वाद और आवेदन (1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब प्रकार के वाद एवं आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने व अवधारित किये जायेगे, इसलिये आर०टी० एक्ट की तृतीय अनुसूची में वर्णित क्रम संख्या 5 अधिनियम की धारा 88 मे वादी के अधिकारों की घोषणा के लिये वाद व निपटारा करने के लिये सक्षम अधिकारी/न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी के श्रवणाधिकारिता विधि द्वारा प्रावधित है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। जब न्यायालय हाजा द्वारा वादी के वाद पत्र में चाहे गये मुख्य अनतोष उदघोषणा न्यायालय द्वारा वादी के हक में गुण, अवगुण पर सुनवाई पर तय कर दिये जावे, तो आनुसांगिक अनुतोष गलत दस्तावेज पर बेअसर, शून्य व प्रभावहीन राजस्व न्यायालय द्वारा घोषित किया जा सकता है, जिसमें कोई विधि वर्जना नहीं है, इसलिये प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन आर्डर 07 रूल 11 सीपीसी प्रथमदृष्टवा ही निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय शुभेन्द्र पिलानिया बनाम प्यारेलाल आरआरटी 2019(1) पेज नम्बर 291 में स्पष्ट निर्णित किया गया है कि कृषि भूमि के संबंधी खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद राजस्व न्यायालय में विचारणीय हैं जो कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई विधि का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके बाबत कृषि भूमि की उद्घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय के विचारण का नही हो।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 अभिभाषक व वकील अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड का परिशीलन किया। सुसंगत विधि का मनन करते हुये मार्गदर्शन प्राप्त किया । जिसके तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहां वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किय है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ङ) जहां वाद दो प्रतियों में फाइल नही किया जाता है,

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहात है,

परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का, अधिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।

प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा के लिए पेश किया है। जिसमें वादग्रस्त भूमि के वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आने व उपयोग उपभोग करने, वादीगण के पिता/दादा सेडूदास पुत्र छोटुदास व अन्य सहखातेदारान के खातेदारी दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने बाबत कथन किये गये है । जिसमें प्रतिवदी संख्या 1 के संवत् 2028 से 2031 के नाम खातेदारी दर्ज होने का तथ्य स्वीकार किया है । इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में नुमाईशी विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 के द्वारा बिना कब्जे व बिना किसी हक अधिकार के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में करवाना अंकित करते हुये वादीगण के उक्त विक्रय लेख से पाबंद नही होने बाबत कथन किया है । जो बमुकाबले वादीगण एवं तरतीबि पक्षकार शून्य व बेअसर, प्रभावहीन होना बताया है तथा उक्त विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 को बमुकाबले प्रतिवादीगण बेअसर, शून्य व प्रभावहीन घोषित करने बाबत कथन किये है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 29/09/23

वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया है , जिससे दर्शित होता हो कि उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो या वादीगण को कभी उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज रहा हो। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 882/2664 रकबा 0.12है० के पुराने खसरा नम्बर 438/1 है । जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है । जमाबंदी संवत् 2024–2027 के अनुसार इस भूमि की खातेदारी बालदास पुत्र नारायणदास हिस्सा 1/2, रामस्वरूप, बोदूदास, गोपालदास, [illegible]दास पिता साधूदास हिस्सा 1/4, सेडूदास पुत्र छोटुदास हिस्सा 1/4 दर्ज राजस्व रिकोर्ड [illegible] जिसके संबंध में [illegible] संख्या 2 ता 3 के द्वारा फर्द के साथ पेश नामान्तकरण [illegible] 180 दिनांक 15.02.1970 के द्वारा बेनामा तादादी 500रुपये के द्वारा बेचान होने पर उक्त [illegible] की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई । जिसमें भी बतौर रजामंदी सेडूदास, [illegible]दास की अंगुठा निशानी है । जो कि भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार ली गई है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा कोरम के समक्ष उक्त नामान्तकरण को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में स्वीकार किया है । जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उक्त नामान्तकरण का कोई उल्लेख नही किया है तथा इस नामान्तकरण को कोई चुनौती नही दी गई है तथा नाही वादीगण ने अन्य सहखातेदारान या उनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाया है । जबकि वादीगण के पिता/दादा सेडूदास पुत्र छोटुदास जमाबंदी संवत् 2024–2027 के अनुसार केवल हिस्सा 1/4 का ही काश्तकार था। जबकि शेष 3/4 हिस्से के खातेदारान या उनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार ही नही बनाया गया है तथा उक्त शेष 3/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीगण को किस दस्तावेज या अन्तरण लेख से प्राप्त हुये है , इसके संबंध में कोई कथन या तथ्य दर्शित नही किये है। जिससे स्पष्ट होता हो कि वादीगण उक्त सं[illegible] भूमि के खातेदारी की अपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पिता/दादा सेडूदास के [illegible] सहित अन्य सभी साबिक खातेदारान के खातेदारी अधिकार ज[illegible] [illegible] दिनांक 15.02.1970 के द्वारा अन्तरित होकर राजस्व रिकोर्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने के बाद उक्त वादीगण के पिता/दादा व अन्य साबिक खातेदारान के वादग्रस्त भूमि में कोई खातेदारी अधिकार कानूनन शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

29/09/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

नही रहे है । इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना कब्जे व बिना किसी हक अधिकार के गलत राजस्व रिकोर्ड की आड़ में करवाया गया उक्त विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 शुन्य नही होकर शुन्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आता है ।

हस्तगत प्रकरण में विधिक स्थिति यह है कि वादीगण द्वारा स्वयं को संपूर्ण भूमि का काबिज खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है । जबकि वादीगण के वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण साबिक खातेदार रेड़ूदास पुत्र छोटूदास हिस्सा 1/4 के वारिसान है । कानूनन व विधि का स्पष्ट मत है कि जहां तथ्य स्वीकृत हो, वहां उन्हें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नही है। वादीगण का पिता/दादा रेड़ूदास कभी भी उक्त संपूर्ण भूमि का खातेदार नही रहा है तो वादीगण को उक्त संपूर्ण भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने या संपूर्ण भूमि का काबिज खातेदार घोषित करवाने का कानूनन कोई विधिक अधिकार नही है । जहां तक वादीगण के अभिवचनों के अनुसार बाहमी बंटवारा होकर उक्त संपूर्ण भूमि का नामान्तरण वादीगण के हक हिस्से एवं अधिकार में हो गया है एवं उसके बाद बिना कब्जे के उक्त भूमि का अन्तरण हो गया है तो उक्त अन्तरण को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करना पडेगा । क्योंकि पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। वादीगण द्वारा साबिक खातेदारान से प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विधिवत तरीके से तस्दीक हुये नामान्तकरण संख्या 180 दिनांक 15.02.1970 को चुनौती नही दी है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने से उसे बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। जब बयनामा अभिलिखित खातेदार ने कराया है, वह तब तक वैधानिक है, जब तक कि उसे सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता है। इसके अलावा वादीगण के द्वारा दिनांक 23.03.2012 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय लेख को शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि उक्त वादपत्र दिनांक 20.06.2016 को पेश किया [illegible] किसी भी दस्तावेज का शुन्य, निरस्त या शुन्यकरणीय करवाने [illegible] वादीगण ने वादपत्र के अभिकथनों में कही भी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक [illegible] 2012 एवं गलत राजस्व रिकोर्ड की सर्वप्रथम कब जानकारी हुई इसके संबंध में भी कोई कथन नही किये है। जिससे भी कानूनन उक्त वादपत्र मियाद अधिनियम के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण कानूनन चलने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 29/09/23

नही है। इसके अलावा भी वादीगण के अभिवचनों में वादकारण में भी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 एवं राजस्व रिकोर्ड के संबंध में कोई कथन नही किये है। जिसके चलते भी रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 23.03.2012 एवं राजस्व रिकोर्ड के विरूद्व कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। । इसलिये कोई वादकारण उत्पन्न नही होने के कारण भी उक्त वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण कानूनन चलने योग्य नही है। अतः उक्त समग्र विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: कियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र उनवानी परसाराम वगै0 बनाम गजेन्द्र सिंह वगै0 मुकदमा संख्या [illegible]/2016 व मूल पार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी परसाराम वगै0 बनाम गजेन्द्र सिंह वगै0 मुकदमा संख्या 12/2016 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रतियां दोनो मूल पत्रावली में शामिल की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी मूर्तिब हो।

Rathore
29/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:47 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लेखबद्ध किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore
29/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर मूल वादपत्र में बहस सुने जाने का निवेदन किया । जिस पर वकील प्रार्थीगण की सहमति से बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर मूल वादपत्र में सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी हेतु दिनांक 29.09.2023 को पेश हो । (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
29.09.2023	पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्षकारान उपस्थित । प्रकरण मे बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी उभय पक्षकारान पूर्व में मूल वादपत्र में सुनी जा चुकी है । प्रकरण के मूल वादपत्र में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र उनवानी परसाराम वगै0 बनाम गजेन्द्र सिंह वगै0 मुकदमा संख्या 13/2016 व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी परसाराम वगै0 बनाम गजेन्द्र सिंह वगै0 मुकदमा संख्या 12/2016 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रतियां दोनो मूल पत्रावली में शामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.01.30 12:01:47 IST Reason: SelfAttested 29/09/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	